

प्रति

श्रीमान अग्रज उपनिवेशाध्यक्ष
शिवनाथगोवा

विषय: - सिप्रौरी में दंडाजारी शकल को बदले हेतु प्रवेदन।

महोदय जी,

शिवनाथ निवेदन है कि ग्राम - सिप्रौरी (उत्तरांचल) में लगा
दंडाजारी 100 Rupees को दैनिक शकल होत रहता है। यह दंडाजारी
हर साल बढ़ता रहता है। इससे लोग अधिक होठ के कारण इस
माह दो बार रहल पुका है।

हम ग्रामवासी इस समस्या से बहुत परेशान हैं।
कृपया इसका व्याप्री समाधान करने की कृपा करें।

“समस्यावाह”

दिनांक - 12/09/2016.

प्राप्ति

सिप्रौरी के मुख

① विश्वेन्द्र कुमार वर्मा
9399044253

② देव प्रकाश वर्मा -
9340262717

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441



क्रमांक 13-01/वि.उ.षि.नि.फो.राजनांदगांव /82

राजनांदगांव दिनांक : 11/09/2026

श्री विशेष कुमार वर्मा,
श्री देवप्रकाश वर्मा,
ग्राम- सिंघौरी, जिला केसीजी (छ.ग.)

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., खैरागढ़।

सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003

01. उपर वर्णित आवेदक श्री विशेष कुमार वर्मा, श्री देवप्रकाश वर्मा, ग्राम- सिंघौरी, जिला केसीजी (छ.ग.) के द्वारा खराब ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु संबंधी शिकायत इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
02. एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर आवेदक को प्रेषित करने के साथ ही फोरम कार्यालय में दिनांक 18.09.2026 तक दो प्रतियां में प्रस्तुत करें।
- i. क्या शिकायत का निपटारा आपके द्वारा किया जा सकता है?
 - ii. यदि निपटारा संभव न हो तो उसका कारण?
 - iii. प्रकरण से संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें।
03. उत्तर की पुष्टि में विधि अनुसार शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शिकायत की जांच कर तथा शीघ्र निराकरण कर उपभोक्ता को सूचित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को लिखित में अवगत करावे।

(ए.के. गौराहा)

अध्यक्ष,

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छ.रा.वि.म. का एक उत्तरदायी कंपनी) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

CIN-U42108CT2003SGC015822

कार्यालय - कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कॉ.लिमि., खैरागढ़.

क्रमांक 13-13-00/अनु0अधि0/26570

खैरागढ़, दिनांक 30/09/26

प्रति,

श्री विशेष कुमार वर्मा एवं श्री देवप्रकाश वर्मा

ग्राम- सिधौरी,

जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0)

विषय :- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव के समक्ष खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के संबंध की गयी शिकायत बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 12/09/2026,

000

उपर्युक्त संदर्भित पत्र जो अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम, राजनांदगांव को संबोधित है, में लेख किया गया है कि ग्राम- सिधौरी (डबरा खार) में लगा ट्रांसफार्मर आये दिन खराब होते रहता है, इस समस्या से ग्रामवासी परेशान है, के तारतम्य में अवगत किया जाता है कि-

दिनांक 12.09.2026 को ग्राम- सिधौरी (कुकुरमुड़ा रोड़) में स्थापित खराब ट्रांसफार्मर को बदली किया गया है, एवं वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही है। खरीफ फसल एवं पिक लोड के समय अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्राक्कलन तैयार का उच्चकार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

अस्तु जानकारी सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग
छत्ती0 स्टेट पा0डिस्ट्री0 कं0 लिमि0, खैरागढ़

प्रतिलिपि:-

01. अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ अग्रेषित।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / ४३

राजनांदगांव दिनांक 05 / 10 / 2026

01. श्री विशेष कुमार वर्मा एवं श्री देवप्रकाश वर्मा,
ग्राम सिंघौरी, जिला के.सी.जी. (छ.ग.)
02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., खैरागढ़ (छ.ग.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 33 / 2026 पर पारित आदेश

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव
द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।


अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

0/1

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 33 / 2026

संस्थित दिनांक 11 / 09 / 2026

श्री विशेष कुमार वर्मा एवं श्री देवप्रकाश वर्मा,
ग्राम सिंघौरी, जिला के.सी.जी. (छ.ग.)

....परिवादी

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., खैरागढ़ (छ.ग.)

....उत्तरवादी

आदेश

(दिनांक 05 / 10 / 2026 को पारित)

परिवादीगण द्वारा अपने ग्राम में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर बार-बार खराब होने तथा इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा समस्या का उचित निराकरण नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

1. प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है—

क. परिवादी के ग्राम सिंघौरी में विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है।

ख. गुणवत्ता पूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना उत्तरवादी विभाग का दायित्व है।

2. परिवादीगण के परिवाद का संक्षिप्त सार

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम सिंघौरी में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती रही, जिसके कारण फलस्वरूप ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।



3.. उत्तरवादी का जवाब

प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उत्तरवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है -

ग्राम सिंघौरी में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर के बार-बार खराब होने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरवादी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जांच की गई। जांच के दौरान खराब पाए गए ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या का निराकरण कर दिया गया है तथा वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

उक्त समस्या के स्थायी निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने संबंधी प्राक्कलन तैयार कर सक्षम उच्च कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उत्तरवादी के अनुसार वर्तमान में ग्राम सिंघौरी में विद्युत आपूर्ति संबंधी कोई अन्य समस्या नहीं है

4. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्धारित किये जाते हैं-

- i. क्या ग्राम सिंघौरी में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर के बार-बार खराब होने एवं उसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न समस्या का उत्तरवादी द्वारा समुचित रूप से निराकरण कर दिया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

5. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उनके ग्राम सिंघौरी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उत्तरवादी द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में स्थल पर जाकर जांच की गई तथा खराब ट्रांसफार्मर को बदल कर समस्या का निराकरण किया गया। तथा वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।



उत्तरवादी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में ग्राम सिंघौरी में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित है। पीक लोड एवं खरीफ फसल के समय उत्पन्न होने वाली लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए प्राक्कलन तैयार कर सक्षम उच्च कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादीगण की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी तत्कालीन समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाता है।

6. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के सम्यक अवलोकन उपरांत यह पाया जाता है कि परिवादीगण की शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में ग्राम सिंघौरी में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित होना बताया गया है।

अतः परिवादीगण की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण इस प्रकरण में अब किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है।
परिवाद निराकृत किया जाता है।

7. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

आदेश पारित किया गया

(एन.के. साहू)
सदस्य


(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष

